तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **गवरी बनाम सेजी मुकदमा संख्या :– 202/2014**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
07.10.2024	अधिवक्ता प्रार्थीयागण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा बडी विरोल के खेत खसरा संख्या 336 रकबा 2.95 हैक्टेयर आया हुआ है जिसका पुराना खसरा संख्या 406 था उक्त खेत मूलरूप में प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण के दादा भगा पुत्र देवा के नाम था जो कि प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण के दादा व ससुर थे, उनके फौत होने के पश्चात उक्त अप्रार्थीगण के खेत पिता व पति जोधाराम के नाम दर्ज हुआ इस प्रकार उक्त खेत प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक संपति का खेत है जिसमें 2/8 हिस्सा प्रार्थीयागण का पैतृक संपति का हक सनिहित है। चुंकि उपरोक्त खेत प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार के उनके पिता व पति जोधा पुत्र भगा की पैतृक संपति होने से उपरोक्त संपति में प्रार्थीयागण व अप्रार्थीगण का जन्म से समान हक मिल चुका है जिसका राजस्व रेकर्ड में घोषणा करवाने की प्रार्थीयागण अधिकारी है चुंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीयागण की पैतृक सपंति है ऐसी सुरत मे प्रथम दृष्टि में केस प्रार्थीयागण के पक्ष में है लेकिन अप्रार्थी गेना ने अकेले के नाम उक्त आराजी विधि विरूद्व दर्ज करवाई है एवं इस विधि विरूद्व इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी गेना प्रार्थीयागण को बेदखल करने पर आमादा है और यदि प्रार्थीयागण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दी जाती है तो प्रार्थीयागण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका प्रार्थीयागण उचित मुआवजा नहीं पा सकेगी। ऐसी सूरत में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीयागण के 2/8 हिस्से में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को वाद के अंतिम निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि अप्रार्थीगण उपरोक्त खेत खसरा संख्या 336 रकबा 2.95 हैक्टेयर सरहद मौजा विरोल बड़ी में प्रार्थीयागण के 2/8 हिस्से में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें तथा ना ही किसी अन्य से करावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपने जवाब तें वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जोधा पुत्र भगा की प्रथम पत्नी अमरू थी जिसके जायन्दा पुत्र गेनाराम एवं पुत्रियों सेजी व सती है, गवरी नाम की कोई पत्नी जोधा के नहीं थी एंव न ही सीता जोधा की पुत्री थी। भगा पुत्र देवा के नाम की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का कोई हक दावा जन्म से प्रार्थीयागण का नहीं लगता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीयागण [illegible] जोधा की वैध कानूनी वारिस होने का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है बिना दस्तावेजी सबूत के प्रार्थीयागण को उक्त [illegible] पेश करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं है। हस्तगत प्रकरण [illegible] उल्लेखित खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण का जन्म से कब्जा काश्त है एवं अप्रार्थीगण के नाम गिरदावरी की रिपोर्ट भी है। प्रार्थीयागण का उक्त भूमि पर कब्जा होता तो इनके नाम की गिरदावरी रिपोर्ट होती। हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थीयागण द्वारा तहसीलदार सांचौर को दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया तथा न ही नोटिस से अभिमुक्ति का प्रार्थना–पत्र दावे के समय पेश किया है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 15:07:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

जोधा के फौत होने के 30 साल बाद केवल मात्र जमीन हड़प करने के उद्देश्य से दावा पेश किया है जिसके कारण प्रार्थीयागण हस्तगत दावे में किसी भी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने की हकदारिणी नहीं है। प्रार्थीयागण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों आधारभूत स्तंभ प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त नहीं है अतः उक्त प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र गलत व बेबुनियाद होने से मय खर्चा खारिज करने का आदेश फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थीयागण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा बड़ी विरोल के खेत खसरा संख्या 336 रकबा 2.95 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) साचौर, जिला–साचौर

सहायक कलक्टर एवं ... मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) साचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 15:07:15 IST
Reason: SelfAttested